**न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.**

**,अपील संख्या : 172/2016 एल.आर. एक्ट**

सुमन देवी पुत्री बन्सीलाल पत्नी देवेन्द्र कुमार शारदा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 1 शनी मन्दिर के पास श्रीकरनपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

**अपीलान्ट्**

**बनाम**

1. कुमार विक्रान्त पुत्र सरोज कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 123 एफ ब्लॉक वार्ड नम्बर 19 श्रीकरनपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती मन्जु देवी पुत्री बन्सीलाल पत्नी राजेन्द्र कालिया जाति ब्राहमण निवासी 2/1 हाऊसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सरोज कुमार शर्मा पुत्र श्री बन्सीलाल जाति ब्राहमण निवासी मकान संख्या 123 एफ ब्लॉक वार्ड नम्बर 19 श्रीकरनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।

4 ग्राम पंचायत 2 एफ.सी.मुकन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 2 एफ सी मुकन तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।

5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर।

**रेस्पोडेन्टस**

**उपस्थित :–**

| | | |
|---|---|---|
| श्री नायबसिह | – | अभिभाषक अपीलांट् |
| श्री सत्यपाल सहू | – | रेस्पोडेन्ट संख्या 1 |
| श्री सुभाष सहू | – | राजकीय अभिभाषक |

# निर्णय

**दिनांक 10–12–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17–10–2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर मे अपील पेश कर निवेदन किया कि उनके के दादा बन्सीलाल पुत्र कर्मचन्द द्वारा अपने जीवनकाल मे तीन खातो की कुल 5.894 है0 भूमि की एक वसीयत दिनांक 20.01.2012 को मेरे पक्ष में तहरीर व तकमील करवाई थी। दादा की मृत्यु दिनांक 29.02.2012 को हो चुकी है। दादा की मृत्यु हो

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाने के पश्चात उक्त वसीयत दिनांक 20.01.2012 कानूनन असितत्व में आ चुकी है। अपीलान्ट बन्सीलाल पुत्र कर्मचन्द के नाम दर्ज कुल 5.894 है0 भूमि का खातेदार मालिक हो चुका है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा आपस में मिलीभगत करके और सरपंच ग्राम पंचायत 2 एफ सी मुकन व हल्का पटवारी से मिलीभगत करके उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विरास्तन इन्तकाल संख्या 665–666 दिनांक 21.8.2012 एवं दस्तबरदारी इंतकाल संख्या 723 दिनांक 20.9.2013 निरस्त करने का भी निवदेन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2016 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 665, 666 दिनाक 21.08.2012 को निरस्त कर दिया तथा इन्तकाल संख्या 723 दिनांक 20.09.2013 को शून्य धोषित कर प्रकरण तहसीलदार श्रीकरणपुर को रिमाण्ड कर बन्सी लाल पुत्र कर्मचंद के नाम दर्ज भूमि के संबध मे विस्तृत जांच कर दोनो पक्षो को सुन कर विधिसमत निर्णय पारित करने के आदेश दियें। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बाद भी उपस्थित नही हुवे ।

4. अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपीलार्थी के पिता बन्सीलाल के पुत्र कर्मचन्द के नाम खातेदारी कृषि भूमि तहसील करनपुर के चक नम्बर 1 एफ.सी की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता नम्बर 102/93 के मुरब्बा नम्बर 117 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक के 0.253 है. कुल 6.325 हैक्टयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 124 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक 0.253 हैक्टयर व 13/1 के 0.126 हैक्टयर, 13/2 के 0.127 हैक्टयर, 14 ता 25 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर कुल 6.325 हैक्टयर नहरी बारानी भूमि खाता का कुल क्षेत्र 12.650 हैक्टयर नहरी बारानी मे से 3.162 हैक्टयर नहरी बारानी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी है। तहसील श्रीकरनपुर के चक 1 एफ. सी की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 118/104 के मुरब्बा नम्बर 135 किला नम्बर 11 ता 14 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर, 15 के 2.228 हैक्टयर 15/2 के 0.025 हैक्टयर गैरमुमकिन रास्ता 16 के 0.228 हैक्टयर, 16/2 के 0.025 हैक्टयर गैरमुमकिन रास्ता 17 ता 20 के 0.253 हैक्टयर, 21 के0.227 हैक्टयर 22 ता 24 प्रत्येक के 0.228 हैक्टयर 25 के 0.202 हैक्टयर, 25/2 के 0.025 हैक्टयर गैरमुमकिन रास्ता कुल 3.668 हैक्टयर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन रास्ता एव मुरब्बा नम्बर 150 के किला नम्बर 1 ता 8 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर 9/1 के 0.190 हैक्टयर 9/2 के 0. 063 हैक्टयर, 10 ता 12 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर कुल 3.036 हैक्टयर नहरी एव मुरब्बा नम्बर 158 के किला नम्बर 5/1 के 0.126 हैक्टयर नहरी खाता का कुल क्षेत्रफल 6.830 हैक्टयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता मे से 2.214 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हे। तहसील करनपुर के चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 206/180 के मुरब्बा नम्बर 158 के किला नम्बर 4,7,14 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर नहरी कुल 0.759 हैक्टयर नहरी भूमि मुरब्बा नम्बर 162 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11,12,13 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर 14/1 के 0. 076 हैक्टयर, 17 ता 20 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर,21 ता 24 प्रत्येक के 0.164 हैक्टयर नहरी कुल 4.021 हैक्टयर नहरी व मुरब्बा नब्बर 183 के किला नम्बर 4,5,6,7,14, प्रत्येक 0.253 हैक्टयर 15/1 के 0. 228 हैक्टयर 15/2 के 0.025 हैक्टयर 16 व 17 प्रत्येक के 0.253 हैक्टयर 24 व 25 प्रत्येक के 0.164 हैक्टयर कुल 2.352 हैक्टयर नहरी खाता कुल रकबा 7.132 हैक्टयर नहरी भूमि मे से 0.518 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । इस प्रकार अपीलार्थी के पिता बन्सीलाल के हिस्से मे कुल 5.894 हैक्टयर कृषि भूमि है। इन्तकाल संख्या 665 व 666 विरासतन दर्ज हुए व इन्तकाल संख्या 723 बन्सीलाल की पुत्री मन्जु जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सरोज कुमार के पक्ष में अपने हिस्से का हक तर्क नामा कर देने से हुआ। उक्त इन्तकालो के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो खातेदार बन्सीलाल का पौत्र है एव रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सरोज कुमार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का पुत्र है ने अपने पक्ष के हुई कूटरचित वसीयत के आधार पर मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर गलत रूप से उक्त तीनो इन्तकालो को निरस्त करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन इन्तकाल नम्बर 665, 666, व 723 को निरस्त करने के लिये एक ही अपील पेश की जबकी प्रत्येक ईन्तकाल के आदेश के विरूद्व अलग – अलग अपील पेश करनी जरूरी है। ग्राम पंचायत के समक्ष हो रही कार्यवाही मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्षकार नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जो तथाकथित वसीयत अपने पक्ष मे दिनांक 20.01.2012 को बन्सीलाल द्वारा करनी बताई है वो कूटरचित है। ऐसी कोई वसीयत बन्सीलाल ने नही कीं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 यह बात स्वीकार करता है कि दिनाक 29.08.2009 को शिक्षा के लिये आस्ट्रेलिया जाना व अंत में दिनांक 05.02.2014 को भारत आना बताता है और कहता है कि उसने वसीयतकर्ता अपने दादा बन्सी लाल की सेवा की जब वह खुद आस्ट्रेलिया मे था तो उसने बन्सीलाल की सेवा कब की। अगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वसीयत है तो संक्षम न्यायालय से clear कराये। विवादित भूमि पर कब्जा हिस्सो के अनुसार अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 का है जो कब्जे के अभाव मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे इन्तकाल दर्ज नही सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1989 पृष्ठ 667, RRD 1983 पृष्ठ 811, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा बन्सीलाल पुत्र कर्मचन्द द्वारा अपने जीवनकाल मे एक वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कुमार विक्रान्त पुत्र सरोज के पक्ष में करवाई थी, उक्त वसीयत किसी भी न्यायालय से खारिज नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जांच कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया है जो सही हैं । जांच के बाद तय हो जायेगा। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

   1. इस अपील में मुख्य विवाद वसीयत के संबध में है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कुमार विक्रान्त का कथन है कि उक्त भूमि पर उनके दादा बन्सी लाल ने उनके पक्ष में वसीयत कर दी थी, परन्तु अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जो तथाकथित वसीयत अपने पक्ष मे बन्सीलाल द्वारा करनी बताई है वो कूटरचित है। ऐसी कोई वसीयत बन्सीलाल ने नही की।

   2. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर ने वसीयत के संबध में निर्णय पारित नही किया है और न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे वसीसत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये है, बल्कि यह निर्देश दिये है कि विस्तृत जांच कर दोनो पक्षो को सुन कर विधिसमत निर्णय पारित करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय में इन सभी तथ्यो पर जांच हो जायेगी।

   उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 17–10–2016 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–12–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

( हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर



Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: